न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकोलायत, जिला–बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: पारूल पारीक, आर.जे.एस.

नं. फौ. प्रकरण संख्या :: 24/2023

राजस्थान राज्य

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सोहनलाल उम्र 32 वर्ष निवासी चक 01 जी.एम., घड़साना, पुलिस थाना घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।

2. पवन कुमार पुत्र कालूराम उम्र 28 वर्ष निवासी चक 08 के.डब्ल्यू., पुलिस थाना घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 457, 380, 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति:
1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री नरेंद्र सिंह शेखावत, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

::– निर्णय–:: **दिनांक: 11.05.2026**

1. इस आपराधिक प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना बज्जू, बीकानेर की ओर से अभियुक्तगण रामचन्द्र व पवन कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता का न्यायालय में पेश करने पर हुआ, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.08.2020 को रात को उनके परिवार के सदस्य खाना खाकर घर के आगे सो रहे थे। अज्ञात चोर गोपीराम के घर से संदूक व पांचाराम के घर से दो संदूकें उठाकर ले गये, जिनमें नगदी, जेवरात व अन्य सामान था। अज्ञात चोरों द्वारा दोनों घरों से सामान चोरी कर ले गये, इत्यादि।

3. उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बज्जू पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2020 अपराध अंतर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड

संहिता के तहत पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रामचन्द्र व पवन कुमार के विरूद्ध धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण रामचन्द्र व पवन कुमार को धारा 457, 380/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप बनना मानते हुए अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने उक्त आरोप सुन व समझ कर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गयेः–

गवाह संख्या	**नाम गवाहान**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी.डब्ल्यू.–1	गोपीराम	लिखित रिपोर्ट, चाक एफआईआर, नक्शा मौका घटना स्थल
पी.डब्ल्यू.–2	पांचाराम	लिखित रिपोर्ट, नक्शा मौका व चाक एफआईआर
पी.डब्ल्यू.–3	भाखरराम	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू.–4	राकेश कुमार	फर्द गिरफ्तारी व नक्शा मौका तस्दीक घटना स्थल
पी.डब्ल्यू.–5	रामलाल	लिखित रिपोर्ट, चाक एफआईआर व नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.–6	अमन सैनी	फर्द मौका तस्दीक पवन कुमार
पी.डब्ल्यू.–7	मोड़ाराम	फर्द मौका तस्दीक पवन कुमार
पी.डब्ल्यू.–8	जोगेन्द्र	फर्द मौका तस्दीक रामचन्द्र
पी.डब्ल्यू.–9	सुनील कुमार	नक्शा मौका घटना स्थल
पी.डब्ल्यू.–10	बीरबलराम	नोटिस, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम पवन कुमार, फर्द इत्तिला मुलजिम पवन कुमार, फर्द मौका तस्दीक, फर्द इत्तिला मुलजिम पवन कुमार

पी.डब्ल्यू.–11	भूपसिंह सहारण	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रामचन्द्र, मौका तस्दीक, फर्द इत्तिला मुलजिम रामचन्द्र

क्रम सं.	दस्तावेज क्रम संख्या	दस्तावेज का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	लिखित रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका घटना स्थल
4.	प्रदर्श पी–4	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रामचन्द्र
5.	प्रदर्श पी–5	नक्शा मौका तस्दीक मुलजिम रामचन्द्र
6.	प्रदर्श पी–6	नक्शा मौका तस्दीक मुलजिम पवन कुमार
7.	प्रदर्श पी–7	नोटिस अंतर्गत धारा 41 दं.प्र.सं.
8.	प्रदर्श पी–8	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम पवन कुमार
9.	प्रदर्श पी–9	फर्द इत्तिला मुलजिम पवन कुमार
10.	प्रदर्श पी-10	फर्द इत्तिला मुलजिम पवन कुमार
11.	प्रदर्श पी-11	फर्द इत्तिला मुलजिम पवन कुमार
12.	प्रदर्श पी-12	फर्द इत्तिला मुलजिम रामचन्द्र
13.	प्रदर्श पी–13	फर्द इत्तिला मुलजिम रामचन्द्र
14.	प्रदर्श डी–1	पुलिस बयान गवाह भाकरराम

6. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्तगण ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वयं के परीक्षण में अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया है कि वे निर्दोष है तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7. बहस अन्तिम सुनी गई।

8. दौराने बहस विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन की समस्त साक्ष्य व सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियोजन के समस्त गवाहान ने घटना की ताईद की है तथा पत्रावली पर जो भी साक्ष्य आए हैं उसकी पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य से भी सम्पुष्टि होती है। अभियुक्तगण द्वारा चोरी का अपराध किया है। अभियोजन पक्ष की कहानी में किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को भली–भांति साबित किया है। इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर सजा दी जावे।

9. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के सम्बन्ध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं किसी भी गवाह की ऐसी साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अभियुक्तगण को किसी ने चोरी करते हुए नहीं देखा तथा ना ही अभियुक्तगण को मौके से पकड़ा गया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि–

(1)– ''क्या अभियुक्तगण ने मिलकर दिनांक 18.02.2020 की रात्रि को किसी समय परिवादी के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन का अपराध कारित किया?''

––धारा 457/34 भारतीय दण्ड संहिता

(2)– ''क्या अभियुक्तगण ने मिलकर उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी के घर में प्रवेश कर बिना परिवादी की सहमति के बेईमानीपूर्वक ले जाने के आशय से 15,000/– रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) व अन्य जेवरात को हटाकर चोरी का अपराध कारित किया?''

––धारा 380/34 भारतीय दण्ड संहिता

(3)– यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो?

11. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं को साबित करने के लिए प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहान परीक्षित करवाया गया है। प्रकरण का मुख्य गवाह **परिवादी गोपीराम न्यायालय में पीडब्लू 1** के रूप में परीक्षित हुआ है, जो अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि दिनांक 18.08.2020 की बात है। वह अपने घर चारणवाला ब्रांच की 7 आरडी चक 2 सीडब्लूबी फूलासर छोटा पर था। मैं अपने परिवार सहित अपने घर पर सो रहा था। उस रात 12–1 बजे अज्ञात चोर ने घर में घुसकर चोरी की, जिसका हमें सुबह पता चला। सुबह देखने पर हमारे घर में गहने रखे हुए संदूक नहीं था। तब हमने चैक किया तो वह खुली संदूक खेत में बनी हुई पानी की डिग्गी में मिली। उक्त संदूक में सोने, जेवरात, नकदी इत्यादि थे। हमने दो लोगों के पैरों के निशान देखे थे। गांव के ही पांचाराम के घर में भी चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा पुलिस थाना बज्जू में दी गई, जो प्रदर्श पी 1 है व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। **गवाह पीडब्लू 2 पांचाराम** भी न्यायालय में परीक्षित हुआ है तथा कथन करता है कि दिनांक

18.08.2020 को रात को अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर में घुसकर चोरी की गई थी। उसके घर के गेट खुले थे तथा दो लोगों के पैरों के निशान देखे थे। घर से दो मुरब्बा दूर खाली पेट्टियां पड़ी मिली थी, जिसमें से कपड़े बिखरे हुए थे। घटना की रिपोर्ट उसने भी पुलिस थाना बज्जू में दी थी, जो प्रदर्श पी 1 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। **गवाह पीडब्लू 5 रामलाल** यह कथन करता है कि दिनांक 19.08.2020 को वह पुलिस थाना बज्जू में हैड कानिस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज गोपीराम व पांचाराम ने हाजिर होकर लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दी थी। मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश मेरे हवाले की गई थी, जिस पर अनुसंधान प्रारंभ कर मैंने घटना स्थल पर जाकर परिवादी पांचाराम व गोपीराम की निशानदेही से नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी 5 बनाया। नक्शा मौके के **गवाह पीडब्लू 1 गोपीराम, पीडब्लू 2 पांचाराम तथा पीडब्लू 9 सुनील कुमार** हैं, जिनके न्यायालय में बयान बयान का समग्र रूप से अवलोकन करें तो उक्त गवाहान यह कथन करते हैं कि पुलिस द्वारा उनके समक्ष नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। गवाह पीडब्लू 1 गोपीराम व पीडब्लू 2 पांचाराम की साक्ष्य की पुष्टि **गवाह पीडब्लू 3 भाखरराम** करता है, जो अपने बयानों में कथन करता है कि वह गोपीराम व पांचाराम का पड़ौसी है और परिवादीगण ने उसे चोरी के बारे में बताया था। **गवाह पीडब्लू 4 राकेश कुमार** अभियुक्त रामचंद्र की गिरफ्तारी जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 का गवाह है। गवाह ने भी यह कथन किया कि रामचंद्र ने प्रकरण के घटना स्थल की तस्दीक हेतु व जोगेंद्र कानिस्टेबल अभियुक्त रामचंद्र थानाधिकारी के साथ घटना स्थल पर गये थे, जिसका नक्शा मौका तस्दीक प्रदर्श पी 5 है। पीडब्लू 8 जोगेंद्र भी अपने बयानों में यह कथन करता है कि उसके रूबरू मुलजिम रामचंद्र की निशानदेही से घटना स्थल तस्दीक किया गया। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण का **मुख्य गवाह पीडब्लू 10 बीरबलराम** अपने बयानों में यह कथन करता है कि वह घटना के दिन पुलिस थाना बज्जू में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज उसके द्वारा मुलजिम पवन कुमार को धारा 41 दंप्रसं का नोटिस दिया गया, जो प्रदर्श पी 7 है। मुलजिम को जरिये फर्द प्रदर्श पी 8 गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पवन कुमार द्वारा धारा 27 की इत्तिला प्रदर्श पी 9 दी गई, जिसके अनुसार मुलजिम पवन कुमार से घटना स्थल तस्दीक कराया गया, जिसका नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 है। इसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएचओ भूपसिंह को पत्रावली सुपुर्द की गई। इसी क्रम में **गवाह भूपसिंह सहारण पीडब्लू 11** के बयान का अवलोकन करें तो उक्त गवाह कथन करता है कि उसके द्वारा प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ कर मुलजिम रामचन्द्र को जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 के गिरफ्तार किया। मुलजिम रामचन्द्र की इत्तिला अनुसार घटना स्थल खेत ढाणी का मौका तस्दीक किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 4 है व नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 है। फर्द इत्तिला अभियुक्त रामचन्द्र प्रदर्श पी 12 व 13 है। इसी क्रम में न्यायालय में परीक्षित **गवाह पीडब्लू 6 अमन सैनी** के

बयान का अवलोकन करें तो गवाह द्वारा यह कथन किया गया कि पवन कुमार की इत्तिलानुसार मुलजिम से घटना स्थल का मौका तस्दीक कराया गया, जो प्रदर्श पी 6 है। इसी प्रकार फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 6 का अन्य **गवाह पीडब्लू 7 मोड़ाराम** भी है, जो गवाह पीडब्लू 6 अमन सैनी के समकक्ष ही कथन करता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में परीक्षित उक्त गवाहान के बयानों के समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादीगण गोपीराम व पांचाराम द्वारा लिखित रिपोर्ट अज्ञात चोरों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा अपने बयानों में यह अवश्य कथन किये गये हैं कि चोरों के पैरों के निशान उनके द्वारा घटना के आस–पास देखे गये थे, किंतु इस संबंध में पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मोल्ड घटना स्थल से नहीं उठाया गया है। इसके अलावा पत्रावली पर उक्त दोनों ही मुलजिमान से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। मात्र अभियुक्त पवन कुमार द्वारा पुलिस को घटना स्थल बाबत् इत्तिला दी गई है और घटना स्थल नक्शा मौका तस्दीक कराया गया है। इस संबंध में सुस्थापित विधि का अवलोकन करें तो विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां चोरी की घटना किसी अज्ञात चोर द्वारा कारित करना प्रकट होता है, वहां पर अभियोजन पक्ष को अपनी सुदृढ़ साक्ष्य से अभियुक्त से हुई जब्ती को प्रमाणित करना होता है, किंतु यहां पर उक्त अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई जब्ती नहीं हुई है एवं ना ही किसी भी साक्षी द्वारा उनके द्वारा चोरी की घटना कारित करते हुए उन्हें देखा गया है।

दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। यदि अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के समग्र विवेचन तथा स्थापित विधिक स्थिति की रोशनी में न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने मिलकर दिनांक 18.02.2020 की रात्रि को किसी समय परिवादी के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन कर बिना परिवादी की सहमति के बेईमानीपूर्वक ले जाने के आशय से 15,000/– रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) व अन्य जेवरात को हटाकर चोरी की हो।

12. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रामचन्द्र व पवन कुमार के विरूद्ध धारा 457, 380/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत घटित हुए अपराधों की विशिष्टयों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण रामचन्द्र व पवन कुमार के विरूद्ध धारा 457, 380/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

–:: आदेश ::–

13. अतः अभियुक्तगण **रामचन्द्र** पुत्र सोहनलाल उम्र 32 वर्ष निवासी चक 01 जी.एम., घड़साना, पुलिस थाना घड़साना, जिला श्रीगंगानगर एवं **पवन कुमार** पुत्र कालूराम उम्र 28 वर्ष निवासी चक 08 के.डब्ल्यू., पुलिस थाना घड़साना, जिला श्रीगंगानगर को धारा 457, 380/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(पारूल पारीक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकोलायत

14. निर्णय व आदेश आज दिनांक **11.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(पारूल पारीक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकोलायत